कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/संग/2024/683 दिनांक : 20.03.2024

-:: आदेश ::-

(आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973)

चुंकि मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं आगामी होली एवं शीतला अष्टमी धार्मिक त्यौहारों के मध्य नजर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे जनसाधारण की सुरक्षा एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यतः मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि आगामी होली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा चलते हुए वाहनों, व्यक्तियों तथा महिलाओं पर रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे फेंकने से सार्वजनिक जनहानि तथा शान्ति भंग होने का अन्देशा हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मै सन्तुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या जोधपुर आयुक्तायल क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए जोधपुर आयुक्तालय में इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 641 दिनांक 16.03.2024 के द्वारा भी वर्तमान में निषेधाज्ञा प्रभावी है। उक्त आदेश में वर्णित प्रतिबंधों के अतिरिक्त त्यौहारों के मध्यनजर अन्य उपायों की भी आवश्यकता है।

अतः मैं, शरद चौधरी, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए यह आदेश पारित करता हूँ कि जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में :-

1. किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियों कैसेट्स आदि नहीं चलायेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचती हो।
2. कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दूकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फैकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धुल, कीचड़, ऑयल पेन्ट इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर फेकेंगे।
3. कोई भी व्यक्ति, किसी राहगीर या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डालेगा, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना घटीत होने की सम्भावना हो या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती हो।
4. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील उत्तेजक हरकते एवं अश्लील गायन सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेंगे।

20/03/2024

0291-2650900☎, 2650903🖷, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003

चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में है एवं किसी व्यक्ति विशेष को सूचना देना या आदेश तामील कराना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

इस आदेश की जानकारी को आम जनता में समाचार पत्रों, रेडियो, टी.वी. के द्वारा देने की व्यवस्था जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर करेंगे एवं इस आदेश की प्रतियां प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराने की व्यवस्था करायेंगे।

यह आदेश दिनांक 21.03.2024 को सायं 06.00 बजे से लागू होकर दिनांक 11.04.2024 को सायं 06.00 पी.एम तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया जाता है।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर

(शरद चौधरी)
पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय जोधपुर
पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) जोधपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स/रेल्वे/अपराध/प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था/यातायात, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, एसएसबी जोन, जोधपुर।
5. जिला कलक्टर, जोधपुर।
6. पुलिस उपायुक्तगण, जिला पूर्व/पश्चिम/यातायात, आयुक्तालय जोधपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/जीआरपी, जोधपुर।
8. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
9. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
10. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
12. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों/मीडिया चैनल में प्रचार–प्रसार हेतु।
13. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर।
14. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
15. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय जोधपुर
पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) जोधपुर